क्षेत्रीय कार्यालय
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
प्रथम चरण,सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर – 341001 (राज.), इ–मेल–rorpcb.nagaur@gmail.com

RPCB/RO NGR/PUB-142/ 2124 Date: 17/02/23

M/s Rudra Mines & Minerals,
R/o- House No.- 113, Shree Kunj,
Near Jain Temple, Agrasen Nagar,
Madanganj, Kishangarh (Raj.)
Email- *rudramines2022@gmail.com*

Sub.:- Public hearing for Environmental Clearance for "Granite Mining Cluster Projects, (Ref. No.- 20201000029481 (M.L. No. 23/2020), M.L. No.- 124/2019 & M.L. No.- 125/2019)" Proposed capacity of the cluster is – 5,90,633 TPA(ROM). Cluster Area- 5.22935 Hectare. Applied by M/s Rudra Mines & Minerals, Ref. No.- 20201000029481(M.L. No. 23/2020). Area- 1.00355 Hectare, With Proposed Production Capacity- 96,650 TPA(ROM){Total Saleable Mineral- 53,157 TPA & Mineral Waste- 43,493 TPA}, Located at Khasra no.- 1650. Near Village- Alniyawas, Tehsil- Riyanbadi, District- Nagaur (Raj.)

Ref.:- 1. Office letter no. 374 dated 14.02.2023 issued by the District Collector, Nagaur.
2. This Office letter no. 2088-2092 dated 06.02.2023.

Sir,

In reference to above it is submitted that in compliance to, District Collector, Nagaur office letter no. 370 dated 16.01.2023 in which public hearing has been finalized on dated 13.03.2023, this office has issued letter no. 2088-2092 dated 06.02.2023 but vide District Collector, Nagaur office letter no. 374 dated 14.02.2023 was issued for New public hearing date has been finalized on dated 22.03.2023 therefore in suppression to earlier letter of this office, this letter is being issued.

Therefore, please find enclosed a public notice to be published in one major national daily newspaper (All editions) and one regional daily newspaper (Hindi-All editions) in any case on or before **21.02.2023.** The newspaper cutting are to be submitted to this office for further necessary action to conduct public hearing at **Bharat Nirman Rajeev Gandhi Seva Kendra (I.T. Center), Village-Alniyawas, Tehsil-Riyanbari, Distrct-Nagaur At 11.00 AM on 22.03.2023 for** the environmental clearance of your project.

You are also requested to make available copies of EIA/EMP report and executive summary report in Hindi and English (with soft copies also) at various offices as mentioned in the public notice and receipt of same shall be submitted in this office.

Yours sincerely,

(Savita)
Regional Officer

Copy to following for information & necessary action:-

1. The Member Secretary, Rajasthan State Pollution Control Board, Jaipur.
2. The District Collector, Nagaur in compliance to your letter no 374 dated 14.02.2023
3. The Sub Divisional Magistrate, Riyabari, Nagaur.
4. Analyst Cum Programmer, RPCB, Jaipur to display public notice on website of the State Board.

Scanned with CamScanner

क्षेत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

प्रथम चरण,सहकारी भूमि विकास बैंक, कॉलेज रोड़, पुलिस लाइन के सामने,
नागौर – 341001 (राज.), इ–मेल–rorpcb.nagaur@gmail.com

क्रमांकः–राप्रनिम/आरओ–नागौर/पी.यू.बी.–142/2129 दिनांक : 17/02/23

पर्यावरणीय स्वीकृति समूह खनन परियोजना हेतु लोक सुनवाई के लिए आमसूचना

1. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि "ग्रेनाइट माइनिंग क्लस्टर प्रोजेक्ट (एम.एल. नं. 23/2020, 124/2019, 125/2019, Ref. no. 20201000029481), कुल क्लस्टर क्षेत्र - 5.22935 हेक्टेयर, कुल अनुमानित क्लस्टर उत्पादन क्षमता 5,90,633 TPA(ROM)" आवेदक श्री रूद्रा माइन्स एण्ड मिनरल (Ref. no. 20201000029481), क्षेत्र- 1.00355 हेक्टेयर, खसरा नं.– 1650, अनुमानित खनन उत्पादन क्षमता 96,650 TPA(ROM) {सेलेबल मिनरल – 53,157 TPA & वेस्ट मिनरल– 43,493 TPA}, गांव– आलनियावास, तहसील– रियांबड़ी, जिला–नागौर से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक समूह खनन परियोजना लोक सुनवाई हेतु हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
2. और चूंकि **श्री रूद्रा माइन्स एण्ड मिनरल**, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवष्यक समूह खनन परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एव पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आषय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना अनिवार्य है।
3. उक्त समूह खनन परियोजना से सम्बन्धित समूह EIA/EMP Report एवं संक्षिप्त कार्यपालक सार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है :–
    1. जिला कलक्टर, नागौर।
    2. CEO जिला परिषद् नागौर।
    3. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, मुख्यालय, 4–संस्थानिक क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर।
    4. पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
    5. क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जयपुर।
    6. उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी।
    7. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रिको, नागौर।
    8. जिला उद्योग केन्द्र, नागौर।
    9. ग्राम पंचायत, आलनियावास।
    10. भारत निर्माण राजीव गॉंधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गॉंव– आलनियावास, तहसील– रियांबडी, जिला–नागौर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर के पत्र क्रमांक न्याय/प्रदूषण/जसु 2023/374 दिनांक 14.02.2023 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त समूह खनन परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 22.03.2023 (बुधवार) को प्रातः 11:00 बजे, स्थान– भारत निर्माण राजीव गॉंधी सेवा केन्द्र (आई.टी. सेन्टर) गॉंव– आलनियावास, तहसील– रियांबडी, जिला–नागौर में उपस्थित होकर अपने लिखित/मौखिक आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकते है।

इस संबंध में लिखित आक्षेप/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, नागौर, जिला–नागौर को भी दिये जा सकते है। यह आम सूचना वैष्विक महामारी कोविड–19 से सम्बधित केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवम् अधिन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिष्चित करनी होगी।

भवदीय

Sunita

(सुनिता)

क्षेत्रीय अधिकारी

Scanned with CamScanner